



250

समक्ष राजस्व मण्डल म०प०, केम कोर्ट जबलपुर ॥ म०प०॥

22/9/16 2221 9194-2-16

अपीलार्थी- किशुम लाल उपाध्याय आ० स्व०श्री बालाप्रसाद उपाध्याय, पता-गुंम मंहगवाँ, परिषद, तह० पनागर जिला-जबलपुर म०प०

विरुद्ध


- प्रतिवादीमण- 1- महेन्द्र कुमार उपाध्याय आ० स्व०बालाप्रसाद उपाध्याय, ।
- 2- सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय आ० स्व०बालाप्रसाद उपाध्याय
- 3- श्रीमती सत्यवती उपाध्याय पति स्व० बलरामप्रसाद उपाध्याय ओमकार प्रसाद उपाध्याय, निवासी सभी-ग्राम मंहगवाँ परिषद, तहसील पनागर जिला-जबलपुर म०प०

श्री मुकेश मिश्रा अधिवक्ता  
आ.।  
29-9-16

आवेदनपत्र वास्ते प्रकरण क्र०-आर-609-आई-12-जबलपुर पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु ।


अपीलार्थी, माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करता है:-

- 1- यह कि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 29.9.16 को सुनवाई हेतु नियत था।
- 2- यह कि, अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेशामिश्रा के घर पर श्राद्ध का कार्यक्रम होने से वे समय पर न्यायालय नहीं आ सके थे और उन्होंने अपने सहयोगी अधिवक्ता श्री कृष्णाकांत रजक को माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से उपस्थित होने निर्देशित किया था जिन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर मूल अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कारण माननीय न्यायालय को अवगत कराया था। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अधिवक्ता श्री कृष्णाकांत रजक का नाम अधिवक्तापत्र में न उल्लिखित होने से उनकी उपस्थिति मान्य नहीं की और उक्त प्रकरण अदम पैरवी में छारिज कर दिया।
- 3- यह कि, जब 12.30 ॥दिन॥ अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेशामिश्रा न्यायालय में उपस्थित हुये तो उन्हें प्रकरण के आदम पैरवी की छारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई।



Handwritten signature

दिनांक - 29/12/16 (संभवतः)



29/12/16

आवेदनकर्ता श्री मुकुल मिश्रा  
श्री. सी. एन. एन. मुकुल मिश्रा  
जिनके आवेदन संख्या 34162/16 अ.

प्रमाण के पुनः स्थापना हेतु परामर्श देना  
एवम् प्रमाण संख्या 609-1/12  
पुनः स्थापना के अर्थ में प्रमाण  
दाखिल रिपोर्ट हेतु

29/12

अहेड कुमा  
उपाध्याय  
29/12/2016

A. for Appr.

29-12-16